

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद

पत्रावली आज पेश हुई। उपयुक्त जुर्म स्वीकृति के आधार पर उसे दोषी पाते हुए उसकों 10 रु0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुरादाबाद।